न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री मुरारीलाल शर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 28/2019 दिनांक–12.12.2019

कालूराम पुत्र श्री गोरू उर्फ गोरधन जाति जाट निवासी खिरोड तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

– प्रार्थी

बनाम

राजस्थान–सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़

–अप्रार्थी

वकील वादी : – श्री जयपाल सिंह
वकील प्रति. :– राज. पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.ले.रे.एक्ट 1956

:: निर्णय ::

दिनांक :–31.01.2020

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम खिरोड पटवार हल्का खिरोड की सरहद में भूमि खाता संख्या नया 71 पुराना 29 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 614 रकबा 1.30 हैक्टर जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा है। उक्त खसरा भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम कालूराम पुत्र गोरधन की जगह गोरू स्थित है। उक्त खसरा नम्बरान् की भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम कालूराम पुत्र गोरू है जबकि प्रार्थी के पिता का वास्तविक का नाम कालूराम पुत्र गोरधन है जिसके लिये उक्त प्रार्थना पत्र राजस्व रिकार्ड में नाम शुद्धि के लिये पेश करना आवश्यक हुआ। प्रार्थी के आधार कार्ड राशनकार्ड वोटर आईडी कार्ड शिक्षा के दस्तावेजात सभी में कालूराम पुत्र गोरधन है तथा राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी में खाता संख्या नया 70 पुराना 28 के भूमि खसरा नम्बर 353 रकबा 2.12 हैक्टर ग्राम खिरोड में भी कालूराम पुत्र गोरध ही दर्ज हैं जो कि सही है जबकि ऊपर वर्णित खाता संख्या नया 71 व पुराना 29 के भूमि खसरा नम्बर 614 रकबा 3.30 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में कालूराम पुत्र गोरधन दर्ज होना चाहिए। उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सही नही होने के कारण प्रार्थी को काफी परेशानी हो रही है। प्रार्थी कोई भी सरकारी लाभ नहीं ले पा रहा है जिसके कारण प्रार्थी उक्त राजस्व रिकार्ड में अपना नाम कालूराम पुत्र गोरू उर्फ गोरधन की शुद्धि कराने के लिए उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान के सेवामें पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण गलत दर्ज हुआ है जो गलती सहवन के कारण जिसको दुरुस्त किया जाना अति–आवश्यक है, जिससे प्रार्थी को किसी प्रकार की

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

परेशानी नही हो। प्रार्थी अपने सही नाम का फायदा उठा सके। प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र सुनने का क्षैत्राधिकार श्रीमान के अधिकार क्षैत्र में निहित है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष चाहा है कि ग्राम खिरोड पटवार हल्का खिरोड की सरहद में भूमि खाता संख्या नया 71 पुराना 29 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 614 रकबा 1.30 हैक्टर जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा है। उक्त खसरा नम्बर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम कालूराम पुत्र गोरधन के स्थान पर गोरू स्थित है। उक्त खसरा नम्बरान् की भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम कालूराम पुत्र गोरू है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम कालूराम पुत्र गोरधन है, जिसको इसी अनुसार शुद्धि करने के लिए श्रीमान तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी की जावे। तथा प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में कालूराम पुत्र गौरधन दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी अप्रार्थी की गई। अप्रार्थी राज पैरोकार उपस्थित। राज पैरोकार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादी का नाम खाता संख्या 71 में कालूराम पुत्र गौरू है जबकि खाता संख्या 70 में कालूराम पुत्र गोरधन दर्ज है जो सही है। समस्त दस्तावेज में भी पिता का नाम गोरधन दर्ज है। अतः नाम दुरूस्त किया जाना उचित है, कि सहमति प्रदान की गई है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थी के शैक्षिक दस्तावेजात, व राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, अधार कार्ड, तथा मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः बाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम खिरोड़ पटवार हल्का खिरोड की सरहद में भूमि खाता संख्या नया 71 पुराना 29 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 614 रकबा 1.30 हैक्टर जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा में प्रार्थी का नाम कालूराम पुत्र गौरू के स्थान पर कालूराम पुत्र गोरधन दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। खर्चा अपना-अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक **31.01.2020** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारीलाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2020.02.11 17:26:36 IST
Reason: SelfAttested
Location: